UPRB010016322026

न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) रायबरेली
पीठासीन अधिकारी-(अमित कुमार पाण्डेय), (उच्चतर न्यायिक सेवा)UP06246
जमानत प्रार्थनापत्र सं० -657/2026

राजेश कुमार पुत्र गयादीन निवासी ग्राम किशुनदासपुर थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली।

.... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ० प्र० राज्य द्वारा डी०जी०सी० (क्रिमिनल), रायबरेली।

.........विपक्षी

मु० अपराध सं०-452/2020
धारा- 135 विद्युत अधिनियम
थाना-एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली।

<u>जमानत आदेश</u>

1- प्रार्थी/अभियुक्त राजेश कुमार की ओर से मुकदमा अपराध सं०-452/2020 धारा-135 विद्युत अधिनियम थाना-एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली के मामले में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 30.09.2020 को समय लगभग 15.30 बजे से 16.30 बजे तक वादी मुकदमा संजय कुमार अवर अभियन्ता मय साथी कर्मचारी मंगला प्रसाद टी०जी०-2 विद्युत व संविदाकर्मी रवि प्रकाश, जगतपाल एवं मो० नबी के साथ विद्युत चोरी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु थाना क्षेत्र ऊँचाहार जनपद रायबरेली के अन्तर्गत ग्राम गलरिहा चौराहा पोस्ट दौलतपुर में चेकिंग के दौरान श्री राजेश कुमार पुत्र स्व० चौबे प्रसाद निवासी ग्राम गुलरिहा चौराहा पोस्ट दौलतपुर द्वारा अपनी दुकान संदीप इण्टरप्राइजेज (मौरंग, सीमेंट, सरिया) में बिना विद्युत संयोजन के ट्रान्सफार्मर 25 के०वी०ए० से लगभग 150 मीटर 2 कोर की सर्विस केबिल जोड़ कर विद्युत का उपभोग बिना मीटर के LMV-2 विधा में 91 वाट का करते हुए पाया गया।

3- जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी बिलकुल निर्दोष है। अपराध उपरोक्त की विवेचना सही ढंग से नही की गयी है, विवेचक ने घटना स्थल के आस पास किसी व्यक्ति से घटना के सम्बन्ध में कोई पूछताछ नही की है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा न कोई जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय में, न ही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न ही विचाराधीन है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

4– विद्वान ए०डी जी०सी० के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किय गया है कि अभियुक्त द्वारा ग्राम गुलरिहा चौराहा पोस्ट दौलतपुर द्वारा अपनी दुकान संदीप इण्टरप्राइजेज (मौरंग, सीमेंट, सरिया) में बिना विद्युत संयोजन के ट्रान्सफार्मर 25 के०वी०ए० से लगभग 150 मीटर 2 कोर की सर्विस केबिल जोड़ कर विद्युत का उपभोग बिना मीटर के LMV–2 विधा में 91 वाट का करते हुए पाया गया। विद्युत विभाग द्वारा पकड़े जाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा मेरे द्वारा पुलिस प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

6– प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को सशर्त जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त राजेश कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं०–657/2026 मुकदमा अपराध सं०–969/2020 धारा–135 विद्युत अधिनियम थाना–एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली के मामले में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(अमित कुमार पाण्डे)

दिनांकः11.03.2026

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश (इ.सी.एक्ट)
रायबरेली।

Digitally signed by Amit Kumar Pande
Date: 2026.03.12 09:30:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli